सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी

1. जब सेवा पॉलिसी के अंतर्गत सॉफ्टवेअर परियोजनाओं को संरक्षित किया जा सकता है तो अलग पॉलिसी शुरु करने की क्या आवश्यकता थी ?

निगम की विद्यमान सेवा पॉलिसियाँ कुछ समय के लिए सॉफ्टवेअर व संबंधित सेवाओं सहित निर्यातकों की सेवाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी । तथापि यह पाया गया कि सामान्य सेवा पॉलिसी, सॉफ्टवेअर निर्यातकों की सही आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती । अत: यह निर्णय लिया गया कि सॉफ्टवेअर निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऋण बीमा सुरक्षा यथा सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राप्त होते हैं, शुरु की गई । सामान्य सेवा पॉलिसियाँ सॉफ्टवेअर व संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रदान की जाती रहेंगी ।

2. ये सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात कौन से हैं जो सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी के अंतर्गत पात्र होंगे ?

सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी के अंतगर्त निम्नलिखित सॉफ्टवेअर सेवाएँ पात्र होंगी :
सॉफ्टवेअर परियोजना सेवाएँ, चाहें वह एक समय / टर्न की आधार अथवा प्रगामी / मील का पत्थर तय करने के आधार पर हो, निम्नलिखित शामिल है :

(i) सॉफ्टवेअर का ऑफ शोर विकास (अर्थात् भारत में निर्यातक के स्थान पर विकास) तथा उसकी सुपुर्दगी व कार्यान्वयन खरीदार (ग्राहक) के देश में ; अथवा

(ii) ग्राहक के स्थान पर सॉफ्टवेअर का विकास आपूर्ति व कार्यान्वयन

(iii) ऑफ शोर व ग्राहक के स्थान दोनों पर विकास

3. सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

सॉफ्टवेअर परियोजनाओं के विशेष लक्षणों को देखते हुए सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी में निम्नलिखित विशेषताएँ लागू की गई हैं :

(i) मासिक घोषणा के बजाय निर्यातक को, पूर्ण किए गए कार्य का स्तर, मांगा गया भुगतान, प्राप्त भुगतान व इन क्षेत्रों में परिवर्तन दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

(ii) निर्यातक को अग्रिम तौर पर किए जाने वाले कार्य का अनुमान स्पष्ट करना होगा (जैसे किए गए कार्य की मात्रा पर उपलब्ध होनेवाली रिपोर्ट तथा किए गए कार्य की इकाई पर लागू की जानेवाली दर यह किए गए श्रम के घंटे तथा प्रति श्रम घंटे की दर अथवा यह सामान्य रूप से किए गए कार्य दिवसों की संख्या व दर प्रति दिन का दस्तावेज हो सकता है) ।

(iii) निगम की देयता केवल प्रगति रिपोर्ट में दिए गए कार्य तक ही सीमित होगी ।

(iv) निगम को दावा स्वीकार करने के पूर्व स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत एजेंसी के जरिए निर्यातक के बही खाते व अन्य दस्तावेज की जाँच करने के अधिकार होंगे जहाँ ऐसे महसूस किया जाता है कि यह संभव नहीं है, बैंक द्वारा दिए गए प्रमाणन को छोड दिया जाए ।

(v) प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में संविदा में स्पष्ट स्वीकृति तंत्र प्रदान किया जाना चाहिए तथा यदि संभव हो, मध्यस्थता की प्रक्रिया । इसमें गलतियों - भूल चूक के सुधार की व्यवस्था भी की गई हो । गलतियों अथवा भूल चूक के कारण हुई हानि के लिए निगम रक्षा प्रदान नहीं करता है ।

(vi) चूँकि उबरने की कोई संभावना नहीं है हानि की सुरक्षा 80% तक सीमित होगी ।

(vii) खरीदार पर हानि सीमा निर्धारित करने के अलावा, अन्य जोखिमों के अंतर्गत जिस सीमा तक हानि संरक्षित की गई है, उसका उल्लेख करना होगा ।

4. सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी के अंतर्गत किन जोखिमों को संरक्षित किया गया है ?

पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित जोखिम वही होंगे जो मानक पॉलिसी में संरक्षित किए जाते है किंतु सॉफ्टवेअर निर्यातों की विशिष्टताओं के अनुरूप शब्दों में मामूली संशोधन किया गया है । संरक्षित जोखिम निम्न अनुसार होंगे :

वाणिज्यिक जोखिम :

(क) चूक : ग्राहक को प्रदान की गई व उसके द्वारा स्वीकार की गई सेवाओं के संविदा मूल्य की निर्यातक को अदायगी भुगतान की देय तारीख के बाद चार महीनों के भीतर करने में ग्राहक की असफलता ; अथवा

(ख) ग्राहक का दिवालियापन ; अथवा

(ग) सेवा प्रारंभ करने के लिए निर्यातक द्वारा व्यय करने के उपरांत ग्राहक द्वारा संविदा का गलत तरीके से इनकार

राजनीतिक जोखिम :

(क) कोई कानून अथवा आदेश, डिक्री अथवा विनियम जिसे कानून का बल प्राप्त हो, जो ग्राहक के देश से भारत में भुगतान का अंतरण करने से निर्यातक तथा / अथवा खरीदार को रोकता हो, प्रतिबंधित करता हो अथवा नियंत्रित करता हो व उनके नियंत्रण से परे हो ; अथवा

(ख) ग्राहक के देश अथवा भारत के बीच युद्ध होने पर ; अथवा

(ग) ग्राहक के देश में युद्ध होने, युद्ध स्थिति (शत्रुता), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत अथवा अन्य अशांति

(घ) संविदा की तारीख के बाद भारत में अथवा ग्राहक के देश में यदि कोई आदेश, डिक्री अथवा विनियम लागू किया गया जिसे कानून का बल प्राप्त हो तथा जो संविदा के निष्पादन को रोकती हो और निर्यातक तथा/अथवा ग्राहक के नियंत्रण से परे हो ; अथवा

(च) निम्नलिखित में हानि का कोई कारण जो निर्यातक तथा/अथवा ग्राहक के नियंत्रण में न हो तथा जो भारत के कारण घटित घटना के कारण उत्पन्न हो ;

(1) निर्यातक के उन कर्मचारियों के वीजा को नामंजूरी जिन्हें परियोजना के स्थान पर निर्यातक के संविदात्मक दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए जाना है, जिसके लिए निर्यातक अथवा ग्राहक उत्तरदायी नहीं है ।

(2) ग्राहक के देश के प्रधिकारियों द्वारा निर्यातक के कार्मिक को अनुचित तरीके से रोकना

(3) ग्राहक के देश में किसी भी कर में वृद्धि अथवा नए देय करों को लागू करना जिसकी वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती ।

(4) सक्षम न्यायालय अथवा सरकार द्वारा कोई नियम, कानून अथवा आदेश लागू करना जिससे बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकार (आई पी आर) की कार्यवाही अथवा सॉफ्टवेअर जो मुक्त सॉफ्टवेअर के अधिकार क्षेत्र में था अथवा संविदा की तारीख को आई पी आर नहीं किया गया था के उल्लंघन के कारण हानियाँ / अतिरिक्त लागत वहन करना पड़े ।

(5) भारतीय रुपया तथा संबंधित विदेशी मुद्रा के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में भिन्नता, निर्धारित स्तर से तीन प्रतिशत से अधिक हो जिससे निर्यातक को 360 दिनों से अधिक सेवाओं वाली संविदाओं के लिए हानि हुई हो ।

उपर्युक्त (च) के अंतर्गत वर्णित जोखिमों के कारण हुई हानियों को निगम द्वारा अधिकतम निर्यात के मूल्य के 25% के अधीन संरक्षित किया जाएगा ।

5. सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी की अन्य मुख्य बातें क्या है ?

एक वर्ष तक की संविदाओं के संबंध में प्रीमियम उसी दर से चार्ज किया जाएगा जो खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसियों के लिए लागू है । एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रीमियम, एक वर्ष के उपर की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर जोड़कर चार्ज किया जाएगा । अन्य शर्तें खरीदार ऋण जोखिम, अतिदेय स्थितियों, हानि के अभिनिश्चयन व दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों को छोड़कर पॉलिसी की तरह ही लागू होंगी । चूंकि संविदा की शर्तें व्यापक रूप से भिन्न भिन्न हैं, आवश्यकताओं पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा । तथापि दावे के लिए प्रस्तुत किए

जाने वाले दस्तावेजों पर निर्णय लेते समय व अतिदेय व हानि निर्धारित करते समय इन आवश्यकताओं को संचालित करने वाले मूल सिद्धांत, हानि को कम करेंगे । पॉलिसी जारी करते समय आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

सॉफ्टवेअर निर्यात उद्योग की मानदंड व प्रथाओं के अनुसार संविदा के लिए पॉलिसी प्रदान की जाएगी जिसकी निबंधन व शर्तें मानक हैं ।

6. किस पॉलिसी के अंतर्गत सॉफ्टवेअर उत्पादों व पैकेजों की आपूर्ति (बने/बनाए विकसित मानक सॉफ्टवेअर तथा फ्लॉपियों / डिस्क अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की गई आपूर्तियों) को संरक्षित किया जाएगा ?

पण्यों के लिए प्रस्तावित मानक व विशिष्ट पॉलिसियों के अंतर्गत सॉफ्टवेअर उत्पादों व पैकजों की शुद्ध आपूर्ति को संरक्षित किया जा सकेगा ।

उत्पाद पर किसी अन्य जानकारी के लिए स्थानीय ई सी जी सी कार्यालयों के शाखा प्रबंधकों से संपर्क करें ।